

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 503 / 2025 दिनांक : 14 .02.2025

सुश्री रंजना सराफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को दिनांक 17.02.2025 से 21.02.2025 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 16.02.2025 एवं 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री सराफ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
14.2.25  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2002/1292

दिनांक : 14 .02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को उनके पत्रांक 02 दिनांक 03.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री रंजना सराफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

  
14/02/25  
सहायक रजिस्ट्रार